वित्तीय समावेशन और वृद्धि के लिए सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यमों (एम एस एम ई) का सशक्तीकरण बैंकों और उद्योग संघों की भूमिका*

के.सी.चक्रवर्ती

सेबी के भूतपूर्व अध्यक्ष तथा इंडियन एसएमई नॉलेज फोरम के अध्यक्ष श्री जी.एन.बाजपेयी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम. नरेंद्र, ईसीजीसी के अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबंध निदेशक श्री एन. शंकर, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक श्री ए. कृष्णकुमार, सीबीआई के कार्यपालक निदेशक श्री आर.के.दुबे, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के सीईओ डॉ. के. रामकृष्णन, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के सीईओ श्री के.वी. श्रीनिवासन, एसएमई चैंबर ऑफ इंडिया के प्रेज़िडेंट श्री चंद्रकांत सालुंखे, एसएमई उद्यमीगण, अन्य विशिष्ट मेहमान, प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यगण देवियो और सज्जनो।

'एसएमई बैंकिंग कॉनक्लेव 2012' में आज यहाँ उपस्थित रहना और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, के विकास के संबंध में अपने विचार और अनुभव बाँटना, मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। वैश्वीकरण के संबंध में कॉनक्लेव का महत्त्व और भी बढ़ जाता है जब लघु और मध्यम उद्योग चुनौतियों का सामना करते हैं और निर्मित अवसरों का लाभ उठाते हैं। इस प्रकार के मंच से हमें जनता की राय जानने और उसे एक दिशा देने, आम-सहमति निर्मित करने, नीतिगत इनपुट्स को मजबूत बनाने और हमारी नीतिगत पहलों पर हमें फीडबैक देने में मदद करता है। एसएमई बैंकिंग कॉनक्लेव 2012 के आयोजन के लिए मैं एसएमई चैंबर ऑफ इंडिया को बधाई देता हूँ। एसएमई चैंबर्स बहुत सारे सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को, एक ही मंच पर लाने में सफल रहा है, जिससे यह संस्था देश में सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास के संभावित भागीदारों के साथ जिनमें उद्योग, वित्तीय क्षेत्र, और सरकार भी शामिल है, संवाद का एक सक्षम और सक्रिय मंच बन गई है।

* मुंबई में 4 फरवरी 2012 को एस एम ई चैंबर ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित "एसएमई बैंकिंग कॉन्कलेव 2012" में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी.चक्रवर्ती द्वारा दिया गया अभिभाषण। इस अभिभाषण को तैयार करने में श्रीमती लिली वडेरा द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए आभार प्रदर्शित किया जाता है।

सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र का महत्त्व

2. क्योंकि आप सब, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े हुए है, इसलिए रोज़गार निर्माण, निर्यात, तथा जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का सशक्तीकरण करने के संदर्भ में, इस क्षेत्र की, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका, तथा स्थान के बारे में आप सब भलीभांति परिचित हैं और मैं इस पर बल देने के लिए अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन कुछ सांख्यिकी आपके साथ ज़रूर बाटूँगा। उपलब्ध आंकड़ों (एमएसएमई सेक्टर की चौथी जनगणना) के अनुसार 26.1 मिलियन उद्यमों में यह सेक्टर अनुमानतः 59.7 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहा है। अनुमान है कि वैल्यू की दृष्टि से यह सेक्टर निर्माण आउटपुट का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा तथा देश के कुल निर्यात का 40 प्रतिशत हिस्सा दे रहा है और इस प्रकार कृषि क्षेत्र के बाद अगला स्थान इसी क्षेत्र का है। अतः यह उचित ही है कि सरकारी नीति में, देश में एक संतुलित टिकाऊ तथा समान और समावेशित वृद्धि प्राप्त करने के लिए, इस सेक्टर को, उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

3. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम अपने परिचालनों के लिए मुख्यतः बैंक वित्त पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए इस क्षेत्र हेतु, समय पर और पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करवाना, सरकारी नीति के उद्देश्यों का एक प्रमुख लक्ष्य होता है। गत वर्षों में बैंकों ने इस सेक्टर के लिए जो ऋण प्रदान किया है उसमें महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। मार्च 2011 के अंत की स्थिति में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा एमएसई सेक्टर को प्रदान किया गया कुल बकाया ऋण, 4785.27 बिलियन रुपए था जबकि मार्च 2010 के अंत में यह राशि केवल 3622.90 बिलियन थी जिससे 32प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है। गत चार वर्षों में एमएसई सेक्टर को बकाया ऋण का विवरण नीचे तालिका 1.1 में दिया गया है।

4. समायोजित निवल बैंक ऋण (स.नि.बैं.ऋण) के प्रतिशत के रूप में कुल एमएसई ऋण में 2007 से वृद्धि हो रही है जैसा कि

सारणी 1.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा एमएसई क्षेत्र को बकाया ऋण

(खातों की संख्या मिलि.में) (राशि बिलियन ₹ में)

वर्ष	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक		विदेशी बैंक		सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	
माह का अंतिम शुक्रवार	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
मार्च 2008 *	3.967	1511.374	0.819	469.118	0.065	154.892	4.851	2135.386
मार्च 2009	4.115 (3.73%)	1914.083 (26.64%)	0.678 (-17.21%)	466.563 (0.54%)	0.058 (-10.78%)	180.634 (16.61%)	4.851 (कोई परिवर्तन नहीं)	2561.280 (19.94%)
मार्च 2010 #	7.217 (75.38%)	2763.189 (44.36%)	1.131 (66.81%)	648.247 (38.94%)	0.157 (170.69%)	211.470 (17.07%)	8.505 (75.32%)	3622.907 (41.44%)
मार्च 2011	7.398 (2.51%)	3694.30 (33.70%)	1.718 (51.90%)	881.16 (35.93%)	0.186 (18.47%)	209.81 (-0.78%)	9.302 (9.37%)	4785.27 (32.08%)

*एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन जैसाकि 2007 में बैंकों को सूचित किया गया । # सेवा क्षेत्र में शामिल किया गया खुदरा व्यापार
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े साल-दर-साल वृद्धि/ कमी दर्शाते हैं।
स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंक

चार्ट 1.1 में दिखाया गया है। मार्च 2011 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह 14.8 प्रतिशत था।

5. इस सेक्टर के बकाया ऋण में वृद्धि होने के बावजूद इस क्षेत्र के उधारकर्ताओं का कहना है कि ऋण देने वाले, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए, काफी कुछ नहीं कर रहे हैं और केवल बड़े कार्पोरेट्स की जरूरतों पर ही ध्यान दे रहे हैं। परसेप्शन की इस खाई को भरने की जरूरत है।

6. लघु और मध्यम उद्यमों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे समय पर और पर्याप्त बैंकिंग वित्त का अभाव, सीमित पूंजी और ज्ञान, उपयुक्त टैक्नोलोजी की अनुपलब्धता, कम उत्पादन क्षमता, अप्रभावी विपणन कार्यनीति, नए बाजारों की पहचान,

चार्ट 1: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एमएसई को दिया गया ऋण (एएनबीसी के प्रतिशत के रूप में)

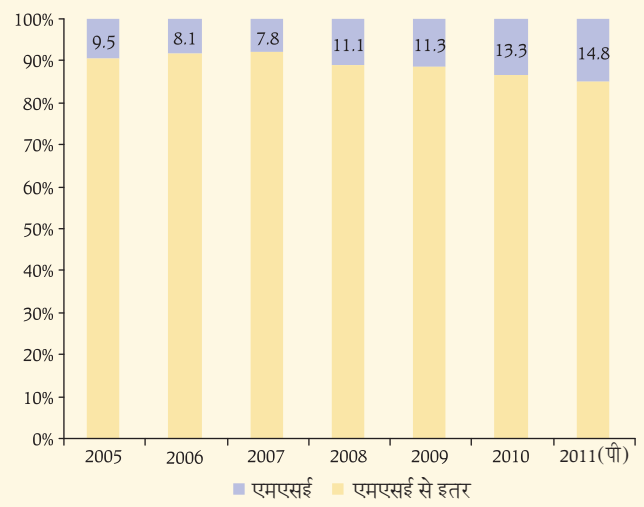

2008 में वृद्धि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसरण में एमएसई की परिभाषा में बदलाव के कारण है।

आधुनिकीकरण और विस्तार संबंधी रुकावटें, उचित लागत पर उच्च कौशल वाले श्रमिकों का उपलब्ध न होना, समस्याएँ सुलझाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई इत्यादि अभी हाल ही में एमएसएमई संघ/चैंबर्स ने यह भी महसूस किया है कि वैश्विक मंदी, स्फीति और रुपए के मूल्य में गिरावट जैसे तत्त्व उन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

7. अब मैं एमएसएमई क्षेत्र की कुछ प्रमुख रुकावटों का उल्लेख करना चाहूँगा तथा भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ने इन्हें दूर करने के लिए जो महत्त्वपूर्ण उपाय किए हैं उनके बारे में भी बताना चाहूँगा।

(i) ऋण तक पहुँच

पर्याप्त मात्रा में और समय पर ऋण तक पहुँच इन उद्यमों की वृद्धि और विकास के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा गठित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों पर प्रधान मंत्री के कार्यदल (अध्यक्ष : श्री टी.के.ए.नायर, प्रधान सचिव, भारत सरकार) की सिफारिशों के अनुसरण में, इस क्षेत्र और विशेषकर सूक्ष्म इकाइयों, को बढ़ा हुआ ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण में वर्षवार 20 प्रतिशत वृद्धि करें; लघु उद्यमों को दिए जाने वाले एमएसई अग्रिमों के 60 प्रतिशत का निर्धारण चरणों में प्राप्त किया जाना है अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50 प्रतिशत वर्ष 2011-12 में 55 प्रतिशत तथा वर्ष 2012-13 में 60 प्रतिशत तथा सूक्ष्म उद्यम अकांउट्स की संख्या में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि प्राप्त की जानी है। रिजर्व बैंक तिमाही आधार पर बैंकों द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति की मॉनीटरिंग काफी निकटता से करता है। जो बैंक पिछड़ जाते हैं उनकी रुकावटों के बारे में जाना जाता है और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस सेक्टर के लिए क्रेडिट तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नई कार्यनीतियाँ बनाएँ और उन

पर अमल करें। हालाँकि बैंकों ने इस सेक्टर के लिए ऋण देने के 20 प्रतिशत साल-दर-साल के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, तथापि सूक्ष्म इकाइयाँ अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं।

तथापि मैं एमएसएमई इकाइयों को यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि क्रेडिट और रुपए (मनी) में अंतर होता है और इस अंतर को स्पष्टतः समझा जाना चाहिए। रुपए के विपरीत क्रेडिट को किसी निश्चित साध्य परियोजना पर खर्च करना होता है और यह एक लागत पर आता है। यह सराहनीय है कि बैंक उच्चस्तरीय लीवरेज्ड निकाय होते हैं जो जमाकर्ताओं द्वारा उनके पास रखी गई राशियों को आगे उधार पर देते हैं और इस तरह उधार देने में विवेकसम्मतता बरतते हैं और जमाकर्ताओं द्वारा उनके पास रखी गई राशि की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहते हैं। जहाँ तक ऋण की लागत का संबंध है, जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरों का विनियमन कर दिया है, एमएसएमई सेक्टर को मेरा संदेश है कि चूँकि ब्याज लागतें उनकी परिचालन लागतों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा होती है, केवल अनुमानतः 4 प्रतिशत के करीब, इसलिए बैंकिंग क्षेत्र से कम ब्याज दरों की मांग न करें बल्कि ऋण प्रतियोगी दरों पर माँगें।

इसके अलावा जैसा कि नीचे चार्ट 1.2 में दिखाया गया है इस सेक्टर में वित्तीय समावेशन भी बहुत अधिक है।

एमएसएमई सेक्टर की सितम्बर 2009 में हुई चौथी जनगणना के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि केवल 5.18 प्रतिशत इकाइयों (पंजीकृत तथा अपंजीकृत दोनों) ने सांस्थानिक स्रोतों से वित्त प्राप्त किया, जबकि 2.05 प्रतिशत ने गैर सांस्थानिक स्रोतों से वित्त प्राप्त किया। अधिकांश इकाइयों अर्थात् 92.77 प्रतिशत ने कोई वित्त प्राप्त नहीं किया और स्वयं वित्तपोषण किया।

चार्ट 2 : एमएसएमई सेक्टर में वित्तीय समावेशन

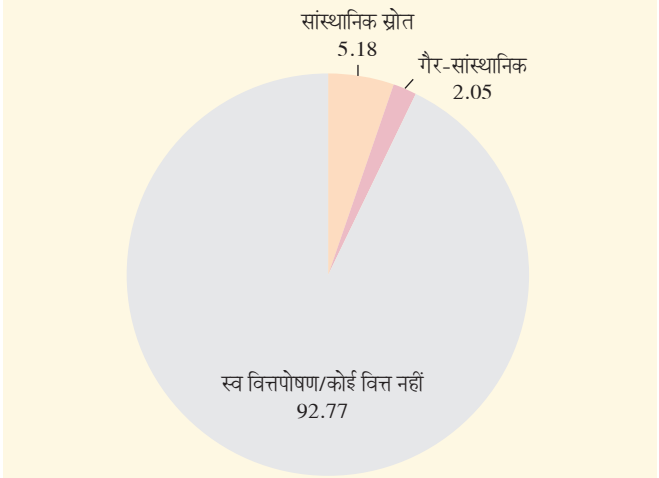

स्रोत : एमएसएमई पर की गई जनगणना (4थी) की मुख्य-मुख्य बातें

अतः दूरदराज के बिना बैंक सुविधा/कम बैंक सुविधा वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करने की जरूरत है। वित्तीय समावेशन जिसमें एमएसएमई वित्त भी शामिल है तथा सार्वभौमिक पहुँच के अभियान का राष्ट्रीय अधिदेश शामिल है। वित्तीय समावेशन से वृद्धि व्यापक होती है और टिकाऊ होती है और ऐसा उस जनसंख्या को शामिल करने से होता है जिसे अभी तक शामिल नहीं किया गया है।

देश के सभी भागों में बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में समान प्रगति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों को सूचित किया गया कि वे मार्च 2012 तक 2000 से अधिक की जनसंख्या वाले, बिना बैंक वाले प्रत्येक गाँव में, एक बैंकिंग आउटलैट के माध्यम से बैंक सेवाएँ प्रदान करने के लिए रोड मैप बनाएँ । रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया कि जरूरी नहीं कि वे, ये बैंकिंग शाखाएँ, किसी ईंट गारे की पक्की शाखा के माध्यम से उपलब्ध कराएँ, बल्कि वे ये सेवाएँ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर आधारित मॉडलों के विभिन्न स्वरूपों के जरिए भी करवा सकते हैं जिनमें बैंकिंग संवाददाता (कॉरसपोंडेंट्स) भी शामिल हैं। ऐसे बिना बैंक वाले लगभग 74,000 गाँव चिह्नित कर लिए गए हैं और राज्यस्तरीय बैंकर समितियों के माध्यम से विभिन्न बैंकों को आबंटित किए गए हैं। जैसा कि विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की विभिन्न राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों द्वारा सूचित किया गया है, सितम्बर 2011 के अंत तक देश के विभिन्न राज्यों में 42,079 गाँवों में बैंकिंग आउटलैट खोल दिए गए है। उनमें 1,127 शाखाएँ 39,998 बिजिनेस संवाददाता तथा 954 ग्रामीण एटीएम, मोबाइल वैन जैसे अन्य मॉडल शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सूचित किया है कि 2,000 से कम जनसंख्या वाले गाँवों में बहु चैनलों के जरिए बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करने के लिए एक कार्रवाई योजना तैयार करें।

(ii) उद्यम (वैंचर)/ जोखिम पूँजी की आवश्यकता

उच्च वृद्धि संभाव्यता तथा शुरूआती लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्यम/जोखिम पूँजी आम तौर पर एक अधिक उपयुक्त वित्तीय साधन होता है। हालांकि एमएसएमई आम तौर पर पारंपरिक कर्ज का प्रयोग करते हैं परंतु इस प्रकार का वित्तपोषण प्रायः तेज वृद्धि वाली और स्टार्ट-अप फर्मों के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। प्रारंभिक चरण में फर्मों को अध्ययन, आकलन तथा एक शुरुआती अवधारणा विकसित करने (बीज चरण) अथवा उत्पाद विकास और प्रारंभिक मार्केटिंग (स्टार्ट-अप चरण) के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इस चरण में फर्में स्थापित होने की प्रक्रिया में होती हैं या हो चुकी

होती हैं। परंतु अभी उन्हें अपने उत्पाद अथवा सेवा, वाणिज्यिक रूप से बेचनी होती है। उच्च वृद्धि वाली फर्में आमतौर पर कोई विचार अवधारणा अथवा उत्पाद विकसित करती हैं जिनसे कमाई और लाभ होने से पहले उन्हें एक इनक्यूबेशन अवधि की जरूरत पड़ती है। इसके लिए फर्म "वेंचर पूँजी" चाहती हैं ताकि उन्हें वह वित्त पोषण मिल सके जो कि उन्हें विस्तार करने, नए बाजार खोजने तथा तेजी से आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। इसलिए एंजल फंड्स/जोखिम पूँजी जैसे पूँजी के वैकल्पिक स्रोतों तक एमएसएमई की समर्थता को (खास कर उनकी, जो नवोन्मेषों तथा नई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर रही हैं काफी हद तक बढ़ाने की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए एमएसएमई द्वारा इन निधियों के प्रयोग में, जो बजटीय/विनियामक रुकावटें आ रही हैं उन पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की जरूरत है। एमएसएमई पर प्रधानमंत्री के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसरण में भारत सरकार इस पर कार्य कर रही है।

(iii) इक्विटी पूँजी तक पहुँच

इक्विटी पूँजी तक पहुँच असली समस्या है। इस समय इस सेक्टर में इक्विटी पूँजी का प्रवाह लगभग नगण्य है। ज्ञान आधारित उद्योगों के विकास में इक्विटी पूँजी का अभाव एक गंभीर चुनौती खड़ी कर सकता है, खासकर ऐसे उद्योगों के संदर्भ में जो कि अपेक्षित विशेषज्ञता और ज्ञान के द्वारा उद्यमियों की पहली पीढ़ी द्वारा स्थापित किए जाने होते हैं। एमएसएमई के लिए एक अलग एक्सचेंज की माँग उठी और सेबी ने एमएसएमई पर प्रधानमंत्री के कार्यदल की सिफारिशों के अनुसरण में एमएसएमई के लिए एक एक्सचेंज स्थापित करने की अनुमति बीएसई तथा एनएसई को प्रदान कर दी है।

(iv) कुशल श्रम की आवश्यकता

इस क्षेत्र को प्रायः कुशल श्रम की अनुपलब्धता की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह एक आश्चर्य ही है कि सौ करोड़ से ज्यादा, जनसंख्या वाले इस राष्ट्र में कुशल श्रम की कमी बताई जाती है। मुझे लगता है कि हमारा राष्ट्र अभी काफी युवा है जिसे आज़ाद हुए केवल 64 वर्ष हुए हैं और यह आगामी कई दशकों तक टिकाऊ आर्थिक वृद्धि की राह पर चलेगा । जनसंख्या के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार भारत में जनसंख्या के आयुवार वितरण में, आगामी वर्षों में महत्त्वपूर्ण बदलाव आएँगे। 2016 तक कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत 15-25 वर्ष आयु वर्ग में होगा। अतः आगामी वर्षों में शिक्षा और नौकरी बाजार में प्रवेश करने वाले युवाओं की संख्या में जबरदस्त वृद्धि होगी। अनुमान लगाया गया है कि आगामी 30 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ लोग रोज़गार बाजार में प्रवेश करेंगे। इस नई तेज़ पीढ़ी में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआती अवधि में होगा और जो एक बेहतर कल की तैयारी करेगा और इस प्रक्रिया में नए उद्यमियों के लिए वृद्धि के नए अवसरों को निर्मित करेगा। इस अनोखे जन-सांख्यिक लाभ का हमें, फायदा उठाने की जरूरत है। वर्तमान में राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर ऐसे विभिन्न संगठन हैं जो उद्यमियों को विभिन्न प्रकार से सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाएँ भी इस दिशा में कार्य कर रही हैं। तथापि इन प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रभाव की जाँच की जानी ज़रूरी है।

(v) प्राप्य राशियाँ देरी से मिलने की समस्या का आढ़त (फैक्ट्रिंग) द्वारा समाधान

बड़े खरीदारों द्वारा एमएसएमई इकाइयों को उनके बकायों के निपटान/बिलों के भुगतान में काफी देरी होने से निधियों का पुनर्चक्रण तथा एमएसएमई इकाइयों का कारोबार परिचालन, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। यद्यपि भारत सरकार ने 1998 में विलंबित भुगतान अधिनियम बनाया था फिर भी बहुत सी एमएसएमई इकाइयाँ प्रमुख खरीदारों के खिलाफ मामला चलाने में झिझकती हैं। माइक्रो, स्मॉल, तथा मीडियम एन्टरप्राइजेज़ डेवलपमेंट (एमएसएमईडी) एक्ट 2006 बनाने के बाद "इन्ट्रेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट एक्ट, 1998" के विद्यमान प्रावधानों को छोटे पैमाने के और आनुषंगिक औद्योगिक अंडरटेकिंग्ज़ के लिए मजबूत बनाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे एमएसएमई सेक्टर से की गई खरीदारियों के संबंध में अपनी भुगतान बाध्यताओं को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को स्वीकृत समग्र सीमाओं के भीतर अलग से उपसीमाएँ स्वीकृत करे। परंतु असल में इस कानून से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया क्योंकि वे अपने निरंतर कारोबार के लिए बड़े कारोबारियों पर आश्रित होते हैं। इस समस्या का समाधान सांस्थानिक रूप से फैक्टरिंग द्वारा हो सकता है और बैंकों को खास तौर पर एमएसएमई के लिए इस प्रकार की सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए। फैक्टरिंग सेवाओं को सुगम बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में फैक्टरिंग विनिमयन बिल पास किया है, जो कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की भुगतान में देरी तथा नकदी की समस्याओं को हल करेगा। फैक्ट्रिंग ग्राहकों से प्राप्य राशियों के समक्ष, लघु तथा मध्यम उद्यमों को नकदी प्रदान करती है और इसे एक नकद प्रबंधन 'टूल' माना जाता है। इसके अतिरिक्त फैक्टर्स, वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से समनुदेशित कर्ज़ तथा प्राप्य राशियाँ वसूल करने के लिए कानूनी रास्ता अपनाने के भी पात्र होंगे। फैक्टरिंग बिल से, फैक्टरिंग के लिए एक विधिक वातावरण तैयार हुआ है तथा प्रक्रिया भी आसान हुई है।

(vi) रुग्णता

लघु उद्योगों की बढ़ती रुग्णता एक चिंता का विषय बनी हुई है। जब रुग्णता बढ़ती है तो इकाइयाँ बंद होती हैं और बेरोज़गारी बढ़ती है। लघु उद्योग इकाइयों के बंद होने की दर काफी अधिक है। इसके काफी व्यापक परिणाम हैं। जैसे ऋणदाता संस्थाओं की निधियाँ फस जाना, संसाधनों की क्षति, तथा रोज़गार बंद हो जाना। मार्च 2010-11 के अंत में रुग्ण लघु, तथा सूक्ष्म उद्यमों की स्थिति के आँकड़े नीचे दिए गए हैं।

कुल रुग्ण एमएसई इकाइयों के प्रतिशत के रूप में संभावित रूप से साध्य के रूप में चिह्नित इकाइयों की संख्या लगभग 8 प्रतिशत थी जबकि असाध्य पाई गई रुग्ण इकाइयों की संस्था 85 प्रतिशत थी, कुल रुग्ण इकाइयों की संख्या के अनुपात के रूप में नर्सिंग के अंतर्गत रखी गई इकाइयों का प्रतिशत 5.22 था। मैं यहाँ इस बात पर बल देना चाहूँगा कि रुग्णता का सही समय पर पता लगना महत्त्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस संबंध में होने वाली देरी से संभावित रूप से साध्य रुग्ण इकाइयों के वापस अच्छे होने की संभावनाएँ घट जाती हैं। अन्य बीमारियों की तरह ही एमएसएमई के मामले में भी रुग्णता की पहचान होने के पश्चात् उसके समय पर उपचार के बारे में अधिक कहने की जरूरत नहीं है। ईकाई में रुग्णता की पहचान की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए 'रुग्ण लघु मध्यम उद्यमों' के पुनर्वास पर गठित कार्यदल की सिफारिशों के अनुरूप रुग्णता की वर्तमान परिभाषा में संशोधन का एक प्रस्ताव रिज़र्व बैंक के पास विचाराधीन है। साध्य इकाइयों के लिए ऋणों की शर्तों पर पुनर्विचार करने और अधिक निधियाँ देने, कारोबार की पुनर्संरचना करने, तथा प्रबंधन में परिवर्तन करने आदि के माध्यम से, समय पर और प्रभावी पुनर्वास करना जरूरी हो सकता है। यह प्रक्रिया न केवल त्वरित, सक्षम सस्ती तथा सभी स्टेक होल्डर्स के लिए समुचित होनी चाहिए बल्कि सभी के लिए स्वीकार्य और कार्यान्वयन योग्य होनी चाहिए और उसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मॉनीटरिंग व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। यदि कोई इकाई साध्य नहीं पाई जाती तो ऋणदाताओं की बकाया राशियों की वसूली के लिए एक समुचित सक्षम और त्वरित विधिक तंत्र के जरिए इस वसूली पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जैसा कि पाया गया है कि अधिकांश मामलों में प्रोमोटर के अंशदान की अनुपलब्धता के कारण 'रुग्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' के पुनर्वास का कार्य हाथ में नहीं लिया जा सका इसलिए हमने भारत सरकार को सिफारिश की है कि वे रुग्ण एमएसएमई के पुनर्वास के लिए एक पुनर्वास निधि स्थापित करें।

4 मई 2009 को सभी अनुसूचित बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इसकी समीक्षा करें और एमएसई ऋण नीति, रिस्ट्रक्चरिंग/ पुनर्वास नीति तथा अपने निदेशक मंडलों द्वारा यथा अनुमोदित, गैर-निष्पादक ऋणों की वसूली के लिए नॉन-डिस्क्रिशनरी एक बारगी निपटान योजना लागू करें। दिसंबर 2009 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे एमएसई सेक्टर के लिए गैर निष्पादक ऋणों की वसूली के लिए नॉन डिस्क्रिशनरी एक बारगी निपटान योजना को अपने बैंक की वेबसाइट में डाल कर तथा प्रचार के अन्य संभावित साधनों के जरिए इसका व्यापक प्रचार करें।

(vii) एमएसएमई के लिए निकास नीति

रुग्णता के प्रबंधन के लिए असाध्य इकाइयों के लिए एक निकास पथ भी बनाना आवश्यक है। पूरे विश्व में, एमएसएमई, उद्यम नवोन्मेष तथा रचनात्मकता के उच्च स्तर के लिए जाने जाते हैं जिससे असफलताओं की दर भी ऊँची होती है। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकांश देशों ने शोध अक्षमता तथा दीवालिएपन को हैंडल करने के लिए तंत्र लागू कर रखे हैं। एमएसएमई के लिए भारत में चल रहा वर्तमान तंत्र काफी पुराना है। भारत में कारोबार की असफलता को एक धब्बा माना जाता है जिससे व्यक्ति की रचनात्मकता और देश के विकास पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इससे संबंधित वर्तमान कानूनों को थोड़ा बदलने की जरूरत है ताकि गैर-साध्य कारोबारों को कुशल परिसमापन प्रदान किया जा सके।

(viii) बुनियादी ढाँचा

सूक्ष्म, लघु उद्यमों में प्रतियोगितात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता, वैश्विक स्तर की हो। एमएसई या तो बरसों पहले स्थापित किए गए औद्योगिक एस्टेटों में अवस्थित हैं या

(राशि बिलियन ₹ में)

निम्नलिखित को समाप्त वर्ष	रुग्ण इकाइयों की कुल संख्या		संभावित रूप से साध्य		असाध्य		जिनकी साध्यता का निर्णय अभी होना है		नर्सिंग के अंतर्गत रखी गई इकाइयाँ	
	इकाइयाँ	बकाया	इकाइयाँ	बकाया	इकाइयाँ	बकाया	इकाइयाँ	बकाया	इकाइयाँ	बकाया
मार्च 2010	777.23	52.33	91.60	9.65	644.03	38.91	41.60	3.77	23.60	4.79
मार्च 2011	901.41	52.11	71.18	11.13	765.18	35.89	65.05	5.09	46.98	5.18

फिर देहाती इलाकों में असंगठित रीति से विद्यमान हैं। ऐसे इलाकों में बिजली पानी सड़कों की स्थिति अपर्याप्त है और भरोसे योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत का एमएसई क्षेत्र, कुछ अपवादों को छोड़ कर काफी कम प्रौद्योगिकी स्तरों वाला है जो उभरते विश्व बाज़ार में एक रुकावट है। इकाइयों को प्रौद्यागिकीय रूप से ऊँचा करने से क्षमता बढ़ेगी तथा आपूर्ति में वृद्धि होगी जिससे स्फीति रोकने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त मार्केटिंग अनुसंधान भी काफी महत्त्वपूर्ण और जरूरी है। एमएसएमई पर गठित प्रधान मंत्री के कार्यदल ने कई उपायों की सिफारिश की है जो एमएसएमई के कार्यों पर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे ऋण, विपणन, श्रम, निकास नीति, बुनियादी ढाँचा/प्रौद्योगिकी/कौशल विकास तथा कराधान इत्यादि। इन व्यापक सिफारिशों में तत्काल कार्रवाई करने, मध्यावधि सांस्थानिक उपाय करने, विधिक तथा विनियामक संरचनाएँ तथा पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित सिफारिशें भी शामिल हैं। इन सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने की मॉनीटरिंग भारत सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर की जा रही है।

8 वैश्विक मंदी तथा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम

विश्व के कई देशों में मंदी आने और रुपए की कीमत घटने की वजह से पिछला कुछ समय बैंकरों तथा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम क्षेत्र दोनों के लिए काफी चुनौती भरा रहा है। मंदी के कारण वस्तुओं और सेवाओं की माँग विश्व भर में कम हो गई है। परंतु मैं यहाँ उद्यमियों से कहना चाहूँगा कि वे स्थानीय बाज़ारों में उठने वाली विशाल माँग की ओर ध्यान दें। एमएसएमई ऐसे सर्वोत्तम साधन है जो स्थानीय माँग और उपभोग निर्मित कर सकते हैं और वैश्विक मंदी से भी लड़ सकते है। रुपए की गिरावट ने इस सेक्टर की निर्यातक फर्मों के उत्पादों की कीमतों को और अधिक प्रतियोगितात्मक बना दिया है।

9. बैंकों की भूमिका

आज यह क्षेत्र जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें से कई को सुलझाने में बैंक एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। बैंकों को स्वयं को, केवल ऋण प्रदाता के रूप में ही नहीं देखना है बल्कि इन उद्यमों के विकास में स्वयं को भागीदार के रूप में देखना है और जब पहली पीढ़ी के उद्यमियों के पाँव कारोबार में जमना शुरु हो जाएं तो उनसे हाथ मिलाकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं वित्तीय प्रबंधन में, सूक्ष्म, लघु उद्यमों के पास अपने आकार के कारण, उतनी क्षमता नहीं है जितनी की उन्हें जरूरत है। परिचालन कौशल, जिसमें लेखाकरण और वित्त कारोबार आयोजना, विपणन, और मानव संसाधन प्रबन्धन भी शामिल है अक्सर चुनौती पैदा करता है और एमएसई उधारकर्ताओं के लिए सहायता की ज़रूरत पैदा करता है। उदाहरण के लिए वे पूंजी की बहुत ही कम उत्पादकता पर परिचालन करते हैं जिससे उनके पास या तो बहुत ही कम नकदी होती है या बहुत अधिक होती है। यह कार्य करने के टूल्ज़ पूर्णतः विकसित हैं जैसे 'कैश-फ्लो पूर्वानुमान' तथा 'कैश-फ्लो प्रबन्धन' इन कारोबारों की वित्तीय प्रबन्धन जरूरतें पूर्वानुमेय (प्रेडिक्टेबल) होती हैं। विश्व भर में ये छोटे वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं जिसका कि हर अनुभवी बैंकर को पता होता है। इन छोटे कारोबारों को वित्तीय प्रबन्धन प्रदान करने वाली कोई फर्म बनाने से उसके लाभ जबरदस्त हो सकते हैं। बैंकों को चाहिए कि वे अपने एमएसई उधारकर्ताओं को वित्तीय परामर्श/वित्तीय प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करें ताकि उन्हें पूरा दिशा निर्देश और सहायता प्रदान की जा सके। उनका पालन पोषण किया जा सके। कार्यात्मक अपर्याप्तताओं तथा मार्केट गैप्स संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए बैंक विशेष औद्योगिक और प्रबन्धन परामर्श विभाग स्थापित कर सकते हैं।

बैंक शाखाओं को अपनी ऋण सेवाओं और गैर-ऋण सेवाओं को मिला कर अपने एमएसएमई ग्राहकों के कार्यों में अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने की जरूरत है। परंतु इसके लिए बैंक स्टाफ को एमएसई की विशिष्ट जरूरतों, जैसे कि बाज़ार की जानकारी - घरेलू और वैश्विक दोनों की, प्रौद्योगिकी के प्रयोग, आदि को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है। बैंकों को ऐसे नए उत्पाद बनाने की जरूरत है जो विशिष्टतः एमएसएमई की जरूरतों के हिसाब से हों और ऐसे उत्पादों के मूल्य का निर्धारण करते समय भी उन्हें इन संस्थाओं के साथ अपने लंबे संबंध को ध्यान में रखना चाहिए।

चूँकि समय पर और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता इस सेक्टर के लिए एक मुख्य आवश्यकता है इसलिए बैंकों को चाहिए कि वे एमएसएमई को ऋण प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो सुविधा शुरु करें, इसके लिए वे ऐसे ग्राहकों की आवश्यकता पूरी करने के लिए केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित कर सकते हैं जो कि अप्रेज़ल, स्वीकृति दस्तावेजीकरण, मॉनीटरिंग, नवीकरण तथा विकासशील गतिविधियों को हैंडल करें। जैसा कि हर क्षेत्र में होता है, शुरुआती एमएसएमई उद्यमों के लिए असफलता दर काफी अधिक हो सकती है। तथापि जोखिम के बावजूद समावेशन विकास को सुनिश्चित करने के लिए इन उद्यमों का वित्तपोषण परमावश्यक है। अतः बैंकों को अपनी जोखिम आकलन तथा जोखिम प्रबंधन क्षमताएँ निर्मित करनी ही होंगी और यदि कोई असफलता होती है तो उसके लिए अपनी जोखिम मिटीगेशन प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, उसके लिए प्रावधान करना ही होगा। मैं बैंकों के शीर्ष प्रबंधन से यह गुज़ारिश

करना चाहूँगा कि वे इस कार्य की प्रगति की समीक्षा के लिए एक भरोसेमंद, 'पूर्व-क्रियात्मक' तथा सक्रिय मॉनीटरिंग तंत्र चलाएँ।

बैंक स्टाफ को इन उद्यमों के पालन पोषण की जरूरत के प्रति संवेदी होना ही पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उन्हें प्रारंभिक चरण में आवश्यक सहायता प्राप्त होती हो। शाखा प्रबंधकों के इस सेक्टर में किए गए कार्य-निष्पादन को उनके कार्य मूल्यांकन में स्थान दिया जाना चाहिए।

10. एमएसएमई संघों/चैंबर्स की भूमिका

इस घटक के लिए ऋण में वृद्धि करने के लिए एमएसएमई संघों को एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। उन्हें अपने सदस्यों को कैश फ्लो चक्रों, विभिन्न वित्तीय उत्पादों, लेखा विधियों, इत्यादि के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पूर्व-क्रियात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है। इस संबंध में एमएसएमई संघ, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स इत्यादि, बैंकों, एनआईबीएम अथवा बैंकिंग और वित्त, आधारभूत अकांऊटेंसी तथा एमएस उद्यमों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। इस कॉनक्लेव के आयोजन में मैं एसएमई चैंबर्स के प्रयासों की सराहना करता हूँ। तथापि मैं उद्योग संघों से कहना चाहूँगा कि वे एक प्रो-एक्टिव भूमिका निभाएँ और ऐसे विशिष्ट मामले सामने लाएँ जहाँ कि एमएसएमई उद्यमी, बैंकिंग चैनल्स के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में समस्याओं का सामना कर रहे है। ऐसे मुद्दे, ऐसे मंचों पर विचारित किए जा सकते हैं और उनका समाधान निकाला जा सकता है। अगर हम किसी एमएसएमई उद्यमी द्वारा सामना की जा रही सही समस्याओं के मामलों में से 10 प्रतिशत का भी समाधान कर पाएँ तो मेरे विचार से ऐसे कॉनक्लेव सफल कहलाएँगे। ऐसा करके उद्योग संघ बैंकों और व्यक्तिगत फर्मों के बीच की खाई को पाट सकते हैं और सभी सदस्यों के सामने आने वाली एक जैसी समस्याओं का समाधान निकालने, निर्माताओं में सहयोग कार्रवाई को प्रेरित करने तथा निर्माताओं की सहायता को लक्षित संसाधनों तक पहुँच प्रदान करने जैसे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।

11. सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को समझना चाहिए कि बैंक अपने जमाकर्ताओं और शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः उन्हें, अर्थात् एमएसई को, बैंक ऋण के ग्राहकों के रूप में कुछ बाध्यताएँ पूरी करनी हैं, जैसे कि बैंक ऋण चुकाना, सही खाते बहियाँ रखना, सही जानकारी भेजना, तथा सबसे अधिक, जब कोई समस्या खड़ी होती है तो वित्तीय समस्याओं के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करना ताकि वे बैंक के साथ मिलकर उसका समाधान खोज सकें। यह इन उद्यमों के हित में ही है कि वे किसी स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवाएँ जिससे कि वे ब्याज दर में कटौती के लिए अधिक ऋण लेने के लिए अथवा अपने ऋण आवेदन पत्रों की तेज़ी से प्रोसेसिंग के लिए बैंकों से बातचीत कर सकें। इन उद्यमों को पता होना चाहिए कि यदि वे चूक करते हैं और उनका ऋण का इतिहास खराब है, तो बैंक वित्त तक पहुँचना उनके लिए कठिन हो जाएगा क्योंकि रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अधिदेश दिया है कि वे अपने ग्राहकों का ऋण संबंधी समस्त इतिहास सिविल अथवा रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत किसी अन्य क्रेडिट ब्यूरो को भिजवा दें।

12. इसके अलावा प्रत्येक राज्य में एसएमई/एसएसआई संघों के वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि रिज़र्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में स्थापित एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य होते हैं जिसमें एसएलबीसी कन्वीनर होता है तथा राज्य में एसएमई वित्तपोषण में प्रमुख हिस्सा रखनेवाले बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा सिडबी तथा राज्य सरकार के उद्योग-निदेशक भी सदस्य होते हैं। एमएसई संघों को चाहिए कि वे न केवल इस सेक्टर के लिए ऋण के सुगम प्रवाह में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए तथा अधिकाधिक एमएसई के लिए बैंक वित्त के उपयोग की समीक्षा के लिए, बल्कि बैंक शाखा स्तर पर अभिरुचि और कौशल की कमियों के उल्लेख के लिए भी, इस मंच का प्रयोग कर सकते हैं। मैं उद्योग संघों/चैंबर्स से अनुरोध करूँगा कि वे एमएस उद्यमों से संबंधित क्षेत्र विशिष्ट मुद्दे भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक तथा एसएलबीसी आयोजक बैंकों के साथ उठाएँ। जिन मुद्दों का क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समाधान न हो पाए उन्हें रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के ध्यान में लाया जा सकता है। वे अपने सदस्यों में सरकार की योजनाओं तथा एसएम उद्यमों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता की आचार संहिता की जानकारी भी प्रचारित कर सकते हैं और अंत में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की सफलता की कहानियों को भी वे प्रचारित कर सकते हैं, क्योंकि इससे लोगों में उत्कृष्ट बनने की भावना जगेगी और ऐसा करके वे एक मजबूत और खुशहाल भारत बनाने में अपना योगदान दे सकेंगे। नए उद्यमी अपने अनुभवी काउंटर पार्ट्स की गलतियों से सीख ले सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि ऐसी गलतियाँ वे ना दोहराएँ।

13. एक छोटा परामर्श

हालांकि मैंने एमएसएमई उद्यमों की ग्रोथ के संदर्भ में विभिन्न जोखिम धारकों की अपेक्षाओं का उल्लेख करने की कोशिश की है फिर भी यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि स्वयं एमएसएम उद्यमों को भी, बदलते पर्यावरणीय कारकों के अनुरूप स्वयं को भी निरंतर बदलने की जरूरत है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि वे भी

सफल हों न कि असफल। पहले भी मैंने प्रख्यात प्रबंधन चिंतक पीटर एफ.ड्रकर के लेखों से उद्धृत चार ऐसी गलतियों का उल्लेख किया है जिनसे कि उद्यमियों को अपने कारोबार को विकसित करते समय बचना चाहिए। एमएसएम उद्यमों के लिए ये, विशेषकर वृद्धि चरण के दौरान, संगत हैं। ये हैं : कंपनियों द्वारा विकसित उत्पादों के लिए संभावित नए/अनाशयित बाज़ारों अथवा एप्लीकेशन्ज़ के लिए खुले रहने की ज़रूरत; केवल लाभ पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय नकद प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि यही वह लाइफ-लाइन है जो कंपनी को चलाती है, कारोबार विकसित होने के साथ-साथ प्रबंधन टीम बनाना, और अंत में निरंतर यह प्रश्न पूछने की जरूरत कि इस समय कारोबार को किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या सही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

निष्कर्ष

14. निष्कर्ष स्वरूप में मैं यह कहना चाहूँगा कि एमएसएम उद्यम हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्त्वपूर्ण और बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ कि बेरोजगारी और गरीबी की दोहरी समस्याएँ एक बड़ी विकासात्मक चुनौती हैं। वस्तुतः यदि भारत को आगामी दो दशकों में 8-10 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करनी है तो इसे एक मज़बूत सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र बनाना ही होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समावेशन वृद्धि के सर्वोत्तम वाहक हैं, तथा स्थानीय माँग और उपभोग के निर्माता हैं। कल के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आज के बड़े कार्पोरेट्स हैं जो कल की बहु राष्ट्रीय कंपनियाँ बन सकते हैं। इसलिए बैंकों तथा अन्य एजेंसियों को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की सेवा करने में गर्व का अनुभव करना चाहिए क्योंकि वे कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तेज़ी से बदलते इस कारोबारी वातावरण में स्वयं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी निरंतर क्रियाशील रहना है और छोटे उद्यमों से बड़े कार्पोरेशनों तक की अपनी प्रगति की राह में आने वाली सभी संभावित रूकावटों को दूर करके स्वयं को विकसित करना है।

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए वातावरण तैयार करने में आपके फीडबैक की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा करूँगा।

संदर्भ :

1. पीटर एफ ड्रकर ' मेनेजिंग इन दि नेक्स्ट सोसायटी; टू मैन टेली बुक्स, सेंट मार्टिन्स प्रैस, न्यूयॉर्क।

2. एम एस एम ई पर प्रधान मंत्री के कार्यदल की रिपोर्ट, जनवरी 2010 (अध्यक्ष श्री टी.के.ए.नायर)

3. रुग्ण एस एम ई के पुनर्वास पर वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट (अध्यक्ष - डॉ.के.सी.चक्रवर्ती)।

4. रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्टें।